भारत सरकार
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. **4792** जिसका उत्तर
शुक्रवार, 28 मार्च, 2025/7 चैत्र, 1947 (शक) को दिया जाना है

'वाइब्रेंट गुजरात' शिखर सम्मेलन 2024 में समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किया जाना

4792. श्रीमती शोभनाबेन महेन्द्रसिंह बारैया:
श्री दिनेशभाई मकवाणा:

क्या **पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंत्रालय द्वारा 'वाइब्रेंट गुजरात' शिखर सम्मेलन 2024 में हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों (एमओयू) में कुल कितनी राशि शामिल है;

(ख) दीन दयाल पत्तन प्राधिकरण, कांडला को शिखर सम्मेलन में हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों के माध्यम से पुनर्जीवित करने के लिए प्रस्तावित योजनाएं क्या हैं;

(ग) उच्च प्राथमिकता वाले वधावन पत्तन परियोजना में निवेश के लिए हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों में कुल कितनी वित्तीय राशि शामिल है;

(घ) क्या इन समझौता ज्ञापनों के अंतर्गत तटीय और अंतर्देशीय जलमार्गों के अवसंरचना विकास के लिए कोई विशेष परियोजना शामिल की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इन समझौता ज्ञापनों में हरित पत्तन और सतत विकास से संबंधित कोई परियोजना शामिल है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या सरकार द्वारा मत्स्यपालन, समुद्री पर्यटन और समुद्री संसाधनों के सतत उपयोग को शामिल करते हुए नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए कोई विशेष पहल की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री
(श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क) और (ख): दीन दयाल पत्तन प्राधिकरण द्वारा वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन 2024 में हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों (एमओयू) में कुल 10, 000 करोड़ रु. की राशि शामिल है। यह समझौता ज्ञापन, दीन

दयाल पत्तन प्राधिकरण और उसके पारिस्थितिकी-तंत्र के लिए नेक्स्ट जनरेशन ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास से संबंधित है।

(ग): उच्च प्राथमिकता वाली वधावन पत्तन परियोजना में निवेश के लिए हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों में कुल 1,53,845 करोड़ रु. की वित्तीय राशि शामिल है।

(घ) और (ङ): वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(च): महापत्तनों में फिशिंग हार्बर के आधुनिकीकरण और उन्नयन के लिए 531 करोड़ रु. की पांच परियोजनाओं पर कार्यान्वयन किया जा रहा हैं जो समुद्री पारिस्थितिकी- तंत्र का अभिन्न अंग है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने सतत विकास हेतु महापत्तनों को एक रूपरेखा प्रदान करने के लिए हरित सागर हरित पत्तन दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं। महापत्तनों ने कार्बन फुटप्रिंट को कम करने तथा सतत पारिस्थितिकी- तंत्र का विकास करने के लिए हाइड्रोजन हबों का विकास करने, बंकरिंग के लिए प्रायोगिक परियोजनाओं का कार्यान्वयन करने, हरित हाइड्रोजन और उसके व्युत्पादों के लिए पुन: ईंधन भरने की सुविधा, नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी में वृद्धि करने, पत्तन उपकरण के विद्युतीकरण तथा ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम आदि जैसी विभिन्न पहलें शुरू की हैं।

****